Meticulous Investigation & Prosecution

BAGHPAT POLICE

चोरी की घटना कारित करने के आरोपी धर्मेन्द्र सिंह को पुलिस और अभियोजन विभाग द्वारा प्रभावी पैरवी किए जाने पर हुआ 03 माह का कारावास व 1000 रूपये अर्थदण्ड की सजा-

अवगत कराना है कि अभियुक्त धर्मेन्द्र सिंह पुत्र नवाब सिंह निवासी छछरपुर थाना झिंझाना जनपद शामली द्वारा चोरी करने की घटना कारित की गयी थीं जिसके सम्बन्ध में थाना बडौत पर मु0अ0सं0 638/2001 धारा 457/380/411 भादवि पंजीकृत किया गया था । इस अभियोग में अभियोजन विभाग व पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी की गई, जिसके परिणामस्वरुप दिनांक 19.09.2025 को मा0 न्यायालय सीजे (जेडी) एफटीसी जनपद बागपत द्वारा अभियुक्त धर्मेन्द्र सिंह को दोषी पाते हुए 03 माह के कारावास व 1000 रूपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।

प्रभावी पैरवी कर अभियुक्तों को सजा दिलाना बागपत पुलिस की प्राथमिकता है तथा बागपत पुलिस का अभियुक्तों के विरुद्ध प्रभावी पैरवी कर सजा दिलाने का अभियान निरन्तर जारी रहेगा।

@baghpatpolice | baghpatpolice | Baghpat Police

प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना साइबर क्राइम दिनाँक 19.09.2025

थाना साइबर क्राइम बागपत पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 16/2025 धारा 318(4)/308(2)/111(2)ii/205 BNS व 66(D) IT Act, में डिजिटल अरैस्ट आदि के माध्यम से साइबर ठगी कर विभिन्न लोगों से धोखाधड़ी करने वाले एक शातिर अभियुक्त को किया गिरफ्तार ।

संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 05-04-2025 को थाना साइबर क्राइम बागपत पर वादी विजय कुमार ने लिखित प्रार्थना पत्र दिया कि वादी के पास एक ग्रुप वॉट्यप वीडियो कॉल आई , वॉट्यप नंबरों पर जज, पुलिस अधिकारी, वकील की डीपी लगी हुई थी। वादी को वीडियो कॉल पर बताया कि आपके आधार कार्ड से बहुत सारे फाइनेन्सियल फ्राड किये जा रहे है जिस कारण मुम्बई पुलिस द्वारा वादी को डिजिटल अरैस्ट किया गया और वादी को बताया गया कि आपकी सारी धनराशि को हम कस्टडी में लेकर अपनी निगरानी में रखेंगे तथा वादी को डरा धमकाकर जितनी भी धनराशि वादी के खाते में है उसे धोखाधडी करने वाले व्यक्ति ने **IDFC BANK** के खाते में **7** लाख रुपये ट्रांसफर करवा लिये । इस संबंध में थाना साइबर क्राइम पर मुकदमा अपराध संख्या- **16/2025** धारा **318(4)/308(2)/111(2)ii/205 BNS** व **66(D) IT Act**, पंजीकृत किया गया।

कार्यवाही-

श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय बागपत के निर्देशानुसार जनपद में साइबर अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना साइबर क्राइम बागपत द्वारा थाने के मु0अ0सं0 **16/2025** धारा **318(4)/308(2)/111(2)ii/205 BNS** व **66(D) IT Act**, से सम्बन्धित तथा विवेचना के क्रम में प्रकाश में आए व तथ्यों जैसे अकाउन्ट नं, मोबाइल नं आदि से प्रकाश में आये शातिर अभियुक्त अर्जुन को गिरफ्तार किया गया है। जिसके कब्जे से **01** मोबाईल फोन, **09** एटीएम कार्ड, **04** क्रेडिट कार्ड, **01** वोटर आईडी , **01** सिम कार्ड, **01** ड्राइविंग लाइसेंस, **01** पैन कार्ड, **01** पास बुक, **01** चेक बुक, **AGM ENTERPRISES** की मोहर बरामद हुए है तथा खाते में **2.32** लाख रुपये फ्रीज किये गये है।

नोट- श्रीमान पुलिस अधीक्षक बागपत द्वारा घटना का खुलासा करने वाली पुलिस टीम को **15000** रुपये से पुरस्कृत किया गया है।

पूछताछ का विवरण-

गिरफ्तार अभियुक्त ने पूछताछ पर बताया कि मैने बीए पास किया है वर्तमान में ओईपीएस स्कूल में **ACCOUNTANT** के पद नौकरी करता था कोरोनाकाल में नौकरी चली गई जिस कारण अभियुक्त के द्वारा बिजनिस के उद्देश्य से **AGM**

ENTERPRISES कम्पनी को खोला एवं अपना एक करंट अकाउन्ट खुलवाया। जिसमें मुझे भारी नुकसान हो गया था जिस कारण मैंने विभिन्न बैंको से LOAN ले लिया था। उसी दौरान मैं, चेतन, जय, समीर व सिद्धार्थ से मिला उन्होने मुझे जल्दी पैसा कमाने व साईबर ठगी के बारे में जानकारी दी। हम लोगो ने मिलकर दिल्ली में होटल विहान कमरा नं0 305 निकट नवादा मैट्रो स्टेशन पर एक कमरा लिया जिसमें हमने विजय कुमार को डिजिटल अरैस्ट कर 7 लाख रुपये की ठगी की गई। मेरे विभिन्न बैंकों में केनरा बैंक, IDFC BANK, HDFC BANK AXIS BANK, PAYTM BANK, YES BANK, KOTAK MAHINDRA BANK, SBI BANK आदि में खाते खुलवा रखे है एवं विभिन्न बैंकों से फ्रॉड कर LOAN भी लिया हुआ है। मेरे साथ इस कार्य में चेतन, जय, समीर एवं सिद्धार्थ भी जुडे हुए हैं हम लोग एक साथ मिलकर लोगों के साथ साइबर फ्राड करते हैं।

अन्य अपराध/ अपराधिक इतिहास-

अभियुक्त के खाते में पूर्व में ही भारत सरकार द्वारा संचालित NCRP PORTAL पर थाना साईबर क्राइम बागपत के अतिरिक्त विभिन्न राज्यों की शिकायते दर्ज है जो निम्न है-

1.एकनोलेजमेंट नंबर 21506250016681 जिला कोजीकोड सिटी राज्य केरला में 95 लाख रुपये

2. एकनोलेजमेंट नंबर 21904250039875 महाराष्ट्र में 15151 रुपये

3. एकनोलेजमेंट नंबर 23304250002710 रायपुर छत्तीसगण 50000 रुपये

4.एकनोलेजमेंट नंबर 33204250024233 पश्चिम बंगाल 50000 रुपये

5. एकनोलेजमेंट नंबर 33204250024582 पश्चिम बंगाल 48000 रुपये की फ्राड की भी कुल 96, 63,151 रुपये की शिकायत दर्ज हैं।

बरामदगी का विवरणः-

पकड़े गए अभियुक्त से घटना में प्रयुक्त

- **01 मोबाईल फोन,**
- **09 एटीएम कार्ड,**
- **04 क्रेडिट कार्ड,**
- **01 वोटर आईडी,**
- **01 सिम कार्ड,**
- **01 ड्राइविंग लाइसेंस,**

- 01 पैन कार्ड,
- 01 पास बुक,
- 01 चेक बुक,
- AGM ENTERPRISES की मोहर
- खाते में 2.32 लाख रुपये फ्रीज किये गये है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

अर्जुन सिंह पुत्र तारा चन्द्र निवासी आरसी 558 आदर्श नगर खोडा कॉलोनी थाना खोडा जनपद गाजियाबाद।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. निरीक्षक ब्रजेश सिंह, थाना प्रभारी साइबर क्राइम, बागपत।
2. निरीक्षक संतसरण सिंह, थाना साइबर क्राइम, बागपत।
3. उ0 नि0 राघवेन्द्र कुमार, थाना साइबर क्राइम, बागपत।
4. है0 का0 उमेश वर्मा, थाना साइबर क्राइम, बागपत।
5. है0 का0 दीपक कुमार, थाना साइबर क्राइम, बागपत।
6. का0 प्रशान्त यादव, थाना साइबर क्राइम, बागपत।

प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना सिंघावली अहीर दिनाँक 19.09.2025

थाना सिंघावली अहीर पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0- 325/25 धारा 137(2)/64(1) बीएनएस व 3/4 पोक्सो एक्ट में वाछित 01 अभियुक्त को किया गिरफ्तार।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना सिंघावली अहीर पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0- 325/25 धारा 137(2)/64(1) बीएनएस व 3/4 पोक्सो एक्ट में वांछित 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिमव वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

नोट- उपरोक्त अभियोग की अपहृता को थाना सिंघावली अहीर पुलिस द्वारा दिनांक 16-09-2025 को बरामद किया गया है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

1.नीरज पुत्र महेश उम्र 20 वर्ष निवासी ग्राम- मितली थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1-उ0नि0 अखिलेश यादव थाना सिंघवाली अहीर जनपद बागपत।

2-है0का0 689 विपिन कुमार थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत।

प्रेस नोट जनपद बागपत दिनाँक 19.09.2025

बागपत पुलिस ने 06 वारंटी अभियुक्तों को किया गिरफ्तार।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत बागपत पुलिस ने 06 वारंटी अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार वारण्टी अभियुक्तों का नाम व पता-

1. जोगेन्द्र पुत्र ऋषाल निवासी ग्राम खपराना थाना बिनौली जनपद बागपत।
2. शकील पुत्र बशीर निवासी ग्राम बरनावा थाना बिनौली जनपद बागपत।

3.अय्यूब पुत्र हकीमुल्ला थाना बिनौली जनपद बागपत।

4-रामवीर पुत्र राजपाल निवासी ग्राम तिलवाडा थाना छपरौली जनपद बागपत।

5-कामिल पुत्र मत्तो निवासी राजनगर वार्ड न0 09 कस्बा रटौल थाना खेकड़ा जिला बागपत उम्र करीब 23 वर्ष।

6-धर्मवीर पुत्र करताराम निवासी पट्टी देशू ग्राम बावली थाना बड़ौत जनपद बागपत।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1-थाना बिनौली पुलिस टीम। (03 वारंटी)

2-थाना छपरौली पुलिस टीम। (01 वारंटी)
3-थाना खेकडा पुलिस टीम। (01 वारंटी)
4-थाना बडौत पुलिस टीम। (01 वारंटी)

प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना दोघट **दिनाँक-19.09.2025**

थाना दोघट पुलिस ने ऑनलाइन मोबाइल पर सट्टे की खाई बाडी करते हुए 01 अभियुक्त को किया गिरफ्तार, जिसके कब्जे से एक घटना में प्रयुक्त 01 मोबाइल फोन बरामद।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं सार्वजनिक स्थान पर जुआ/सट्टा खेलने वाले अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना दोघट पुलिस द्वारा ऑनलाइन मोबाइल पर सट्टे की खाई बाडी करते हुए 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है, जिसके कब्जे से घटना में प्रयुक्त एक मोबाइल फोन ओप्पो कम्पनी बरामद हुआ है।

उपरोक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना दोघट पर अभियोग पंजीकृत कर अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

रोहित पुत्र सोनवीर निवासी ग्राम पुसार थाना दोघट जनपद बागपत उम्र 23 वर्ष।

बरामदगी का विवरण-

- एक मोबाइल ओप्पो कम्पनी।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1-उ0नि0 ब्रजेश पौनिया थाना दोघट बागपत।

2-का0 951 पीताम्बर थाना दोघट बागपत।

प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना बिनौली **दिनांक 19.09.2025**

थाना बिनौली पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 291/25 धारा 109(1) बीएनएस व 3/8 गोवध अधिनियम व 3/25/27 आर्म्स एक्ट से सम्बन्धित शातिर वाँछित अभियुक्त जावेद को किया गिरफ्तार, जिसके कब्जे से घटना में प्रयुक्त 01 अवैध तमंचा .315 बोर मय 01 जिन्दा व 01 खोखा कारतूस बरामद।

कार्यवाही

श्रीमान पुलिस अधीक्षक बागपत के निर्देशन में बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित/शातिर अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना बिनौली पुलिस द्वारा दिनांक 18-09-2025 को बाद पुलिस मुठभेड एक अभियुक्त नाजिम पुत्र शहीद निवासी ग्राम शेखपुरा थाना बिनौली जनपद बागपत को घायलावस्था में गिरफ्तार किया गया था, मुठभेड के दौरान अभियुक्त जावेद पुत्र काला फरार हो गया था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु थाना बिनौली पुलिस टीम द्वारा लगातार तलाश व कॉम्बिंग की जा रही थी, दिनांक 19-09-2025 को

थाना बिनौली पुलिस द्वारा चैकिंग के दौरान वाँछित शातिर अभियुक्त जावेद को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से घटना में प्रयुक्त 01 अवैध तमंचा .315 बोर मय 01 जिन्दा व 01 खोखा कारतूस बरामद हुआ है।

जिसके सम्बन्ध में दिनाँक 18.09.2025 को थाना बिनौली पर मु0अ0सं0 291/25 धारा 109(1) बीएनएस व 3/8 गोवध अधि. व 3/25/27 आर्म्स एक्ट में अभियोग पंजीकृत है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

जावेद पुत्र काला निवासी ग्राम अंगदपुर थाना बिनौली जनपद बागपत उम्र करीब 42 वर्ष।

बरामदगी का विवरणः-

- 01 अवैध तमंचा .315 बोर मय 01 जिन्दा व 01 खोखा कारतूस।

गिरफ्तारी का स्थान- जौहडी से सिरसली जाने वाले रास्ते पर

गिरफ्तार अभियुक्त जावेद पुत्र काला का आपराधिक इतिहास -

1-मु0अ0सं0 51/20 धारा 11/3 पशु क्रुरता अधि0 थाना बिनौली जनपद बागपत

2-मु0अ0सं0 54/20 धारा 3/25 आयुध अधि0 थाना बिनौली जनपद बागपत

3. मु0अ0सं0 291/25 धारा 109(1) बीएनएस व 3/8 गोवध अधि. व 3/25/27 आर्म्स एक्ट

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1.उ0नि0 श्री राहुल यादव थाना बिनौली जनपद बागपत।

2.है0का0 354 नीलेश कुमार थाना बिनौली जनपद बागपत।

3.है0का0 892 तेजवीर सिंह थाना बिनौली जनपद बागपत।

प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना रमाला   दिनाँक 19.09.2025

थाना रमाला पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 267/25 धारा 191(2)/191(3)/115(2)/351(2)/109(1)/110/333/75 बीएनएस में वांछित 03 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार।

घटना का संक्षिप्त विवरणः-

दिनांक 19.09.25 को थाना रमाला पर वादी रोहित पुत्र जसवीर सिंह निवासी ग्राम बरवाला थाना रमाला जिला बागपत ने लिखित तहरीर दी कि अभियुक्तों 1. संजू पत्नी श्रीपाल, 2. सन्नी पुत्र श्रीपाल, 3. आकाश, 4. रितिक, 5. राजू, 6. सुशील निवासीगण ग्राम सौरम थाना शाहपुर जिला मुजफ्फरनगर, 7. अंकित पहलवान बडौत, 8. गुड्डू निवासी सूप, 9.राहुल निवासी सोनीपत, हरियाणा तथा 02 महिला सहित 5-6 अज्ञात द्वारा एक राय होकर वादी के घर में घुसकर धारदार व नुकीले हथियारों से जान से मारने की नियत से वादी व वादी के परिवारजनों से मारपीट की गई, जान से मारने की धमकी दी गई तथा वादी की बहन के कपडे फाड दिये। इस सम्बन्ध में तहरीर के आधार पर थाना रमाला पर मु0अ0सं0 267/25 धारा 191(2)/191(3)/115(2)/351(2)/109(1)/110/333/75 बीएनएस पंजीकृत किया गया ।

कार्यवाहीः-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना रमाला पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 267/25 धारा 191(2)/191(3)/115(2)/351(2)/109(1)/110/333/75 बीएनएस में वांछित 03 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पताः-

1. सन्नी पुत्र श्रीपाल निवीसी सौरम थाना शाहपुर जनपद मुजफ्फरनगर।
2.संचित पुत्र सहदेव निवीसी ग्राम बासौली थाना रमाला जनपद बागपत।
3.गौरव उर्फ गुड्डू पुत्र संजय निवासी ग्राम सूप थाना रमाला जनपद बागपत।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1-उ0नि0 श्री मयंक प्रताप सिंह थाना रमाला जनपद बागपत।
2-उ0नि0 श्री सन्नी कुमार थाना रमाला जनपद बागपत।
3-है0का0 833 मुनेन्द्र थाना रमाला जनपद बागपत।
4-का0 607 कपिल देव थाना रमाला जनपद बागपत।